



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
BEECHWAL, BIKANER (RAJASTHAN) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006



पत्रावली क्रमांक: 07(ii)08/CS/FPA/16/

9053 9101

दिनांक: 26.12.2019

27

सेवा में,

श्री बाबूलाल,
पुत्र श्री मूलाराम,
रामपुरा बस्ती,
बीकानेर (राज.)।

विषय:- संस्थान के प्रक्षेत्र के बेर फलों की खुली नीलामी बाबत।

- संदर्भ:- 1. बेर फलों की खुली नीलामी दिनांक: 19.12.2019.
2. संस्थान के पत्र दिनांक: 21.12.2019.
3. आपका अनुबंध पत्र दिनांक: 24.12.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा बेर फलों की खुली नीलामी में आपकी उच्चतम बोली रु.1,21,000/- (रुपये एक लाख इक्कीस हजार मात्र) एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबंध विलेख को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आप द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। (क्रमशः रु.31,000/- TR No.03 दिनांक: 19.12.2019 + रु.90,000/- TR No.07 दिनांक: 24.12.2019 अनुसार) अतः आप संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क करते हुए उपरोक्त वृक्षों के फलों की तुड़ाई का करी तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करें:-

1. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान बेर वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। बेर बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
2. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात बेर फलों के तुड़ाई का कार्यदेश जारी होने के दो माह में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक बेर फलों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में बेर फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
3. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
4. फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।
5. जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ संस्थान के अनुसंधान कार्यों के लिये बेर प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम बेर फल ठेकेदार द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।
6. फलों की तुड़ाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
7. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

कृ.ऊ.प.

8. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुनर्भुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण होने के प्रश्नांत एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
10. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भा.कृ.अनु.परि., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच (Arbitrator) को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे।
11. संस्थान को बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

यह संस्थान के सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय,

(कुलदीप पान्डे)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. फार्म मैनेजर, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. प्रभारी सुरक्षा, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
6. व्यक्तिगत सहायक (निदेशक), भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
- ✓ प्रभारी, ए.के.एम.यु., भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वेब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय/प्रक्षेत्र भवन, भा.कृ.अनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. सतर्कता अधिकारी, भा.कृ.अनुप-केबापके, वेजलपुर।

श्री वी.एस. 20/11/19

28/12/19

28/12/19
सहायक प्रशासनिक अधिकारी